

523

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.6(29)नविवि/3/2004-पार्ट

जयपुर, दिनांक: 4 JUN 2015

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.02.2015 द्वारा जारी निर्देशों की निरन्तरता में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार विकसित भूमि हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.8.2015 तक एतद्वारा बढ़ायी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय)/उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

3. (तालिका-क) से से बिन्दु संख्या-7 का विलोपित किया जाता है।
4. (तालिका-क) के नीचे अंकित नोट में (xv) के पश्चात् निम्न प्रावधान जोड़े जाते हैं:-

“(xvi) उक्त विधियां ऐसे अनाधिकृत निर्माणों के नियामितकरण हेतु लागू होगी, जिनका निर्माण इन उपविधियों के लागू होने से पूर्व किया जा चुका है।”

भयदीय,
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त स्थानीय निकायों को उपरोक्तानुसार निर्देशित किये जाने हेतु।
6. आयुक्त, राजस्थान, आवासन मण्डल, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय